न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण।
पीठासीन अधिकारी :–पुखराज कांसोटिया **RAS**
राजस्व मूल वाद सख्या :– 49/2019

वादी	प्रतिवादी
01.डुंगर सिह पुत्र स्व0 सवाईसिह जाति राजपूत उम्र 67 वर्ष निवासी गांव गुडा राईकान तहसील लूणी जिला जोधपुर।	01.तेजाराम पुत्र श्री नामालुम जाति कुम्हार निवासी गुडा राईकान तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

खातेदार घोषित करने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु का वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः
1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित।
02.प्रतिवादी सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/10/2023

वादी ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादी गांव गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर का रहने वाला सीमांत खातेदार काश्तकार है तथा गरीब किसान है वादी एव उनके प्रेडिसिसर इन टाईटल संवत 1999 से संवत 2075–76 तक लगातार 80 वर्षो से खेत खसरा नम्बर 733 की कुल रकबा 71 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय पर कब्जा काश्त लगातार निर्विवाद रूप से चला आ रहा है परचा तस्दीक मोजा गुडा परगना जोधपुर द्वारा खसरा नम्बर 182, 731, 733, 734, 745 एव खसरा नम्बर 732 रकबा 162 बीधा 05 बिस्वा ए,ओ के हस्ताक्षरो से वादी के प्रेडिसिसर इन टाईटल के नाम से जारी किया गया । तत्पश्चात खतौनी मोजा गुडा विश्नोइयान परगना जोधपुर गवर्नमेन्ट संवत 1999 का उपरोक्त वर्णित खसरो की जारी की गई है जिसमे भी खसरा नम्बर 733 आया हुआ है तथा वादी के प्रेडिसियर इन टाईटल के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात वक्त भू–प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग पर्चा लगान मे खसरा नम्बर 745 का रकबा कम करते हुए खसरा मे जोडकर खसरा नम्बर 733 रकबा 71 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी सोयम लगान 17.90 रूपये कायम करते हुए खसरा नंम्बर 733 मे अन्य व्यक्तियो का नाम दर्ज किया। जिसमे तेजा वल्द 1/5 कौम कुम्हार के नाम दर्ज किया। जबकि उक्त नाम का व्यक्ति वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक न तो मौके पर आया और न ही कभी भी खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नम्बर 733 मे सामलात रूप से 1/5 हिस्सें की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त ही रहा। क्योकि वक्त सेटलमैन्ट से पूर्व एव बाद वादी एव वादी के प्रेडिसिसर इन टाईटल का कब्जा काश्त रही तथा उसके बाद भी लगातार निर्विवाद रूप से वादी का कब्जा काश्त है पूर्व मे सेटलमेट डिपार्टमेन्ट राजस्थान राज्य डिविजन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट नम्बर 339 सन् 1942 संवत 1999 मे वादी के प्रेडिसिसर इन टाईटल सवाई सिह बेटा शिवनाथ सिह सा देह खूद काश्त दर्ज है। इस कारण से खसरा नम्बर 733 का 2/5 भाग वादी के कब्जा काश्त मे है तथा मालिक एव काबिज है रिकॉर्ड मे तेजा राम गलत रूप से लिख दिया गया इस कारण से तेजा का नाम डिलिट करवाना चाहता हूँ तथा रिकार्ड दुरस्त करवाने हेतु यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया एव प्रकरण मे तहसीलदार लूणी से जबाव हेतु तहरीर जारी कि गई।

प्रकरण मे तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/राजस्व/2021/250 दिनांक 19.02.2021 के प्रकरण मे मौका जॉच जबाव प्राप्त हुआ तहसीलदार लूणी अपने जबाव मे बताया गया कि राजस्व रेकर्ड मे ग्राम गुडा विश्नोइयान राईकान के खसरा नम्बर 733 की मिसल बदोबस्त की छायाप्रति जिला कार्यालय से जारी 11892/1319117 के आधार पर सवाई सिग बेटो सीवनाथ सिह जात री राजपूत वासी गांवरी दर्ज है। प्रथम जमाबन्दी संवत 2011 की नकल मे खसरा नम्बर 733 मे भी खातेदार सवाईसिह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत सा देह दर्ज है परन्तु जमाबन्दी संवत 2026–2029 व 2030–2033 के आधार पर खसरा नम्बर 733 मे सहखातेदार के रूप मे तेजा पुत्र कौम कुम्हार 1/5 हिस्से मे बिना किसी नामान्तरकरण के दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड संवत 2071–2074 तक चला आ रहा है जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है तथा मोका स्थिति के अनुसार ग्राम गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 733 रकबा 71.12 बीधा मे तेजा वलद कोम कुम्हार 1/5 हिस्से पर वर्तमान मे कब्जा काश्त जोरसिह वगैरा पी0 सवाई सिह जाति राजपूत का है जिसकी फर्द अवलोकनार्थ है तथा ग्राम पंचायत गुडा विश्नोइयान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 733 रकबा 71.12 बीधा मे सहखातेदार तेजा पि0 जाति कुम्हार हिस्सा 1/5 मे तेजा कुम्हार नामक व्यक्ति ने न तो कभी काश्त की न ही कभी कब्जा रहा एव ऐसा तेजा पि जाति कुम्हार नामक व्यक्ति ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान मे नही है ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान का प्रमाण पत्र तहसीलदार लूणी द्वारा मोका जॉच रिपोर्ट मे संलग्न किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिका
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्व रेकार्ड के जमाबन्दी संवत 2011 की नकल मे खसरा नम्बर 733 मे भी खातेदार सवाईसिह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत सा देह दर्ज है परन्तु जमाबन्दी संवत 2026–2029 व 2030 2033 के आधार पर खसरा नम्बर 733 मे सहखातेदार के रूप मे तेजा पुत्र नामालुम जाति कुम्हार 1/5 हिस्से के रूप मे जो दर्ज हुआ वहा लिपिक की त्रुटि के आधार पर बिना नामान्तरकरण दर्ज हुआ जो राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज होना योग्य प्रतीत होता है एव राजस्व रेंकार्ड मे इन्द्राज तेजा पुत्र नामालुम का नाम डिलिट किया जाना योग्य प्रतीत होता है तथा वादी का स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

अतः–वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुडा विश्नोईयान राईकान के खसरा नम्बर 733 रकबा 71 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय मे 1/5 हिस्से के रूप मे इन्द्राज तेजा पुत्र नामालूम व्यक्ति का नाम डिलिट किया जावे एव जमाबन्दी संवत 2026–2029 व 2030–2030 की स्थिति पुन बहाल कर जमाबन्दी मे इन्द्राज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो ।

पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(पुखराज कांसोटिया **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 23/10/2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 49/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
01. डुंगर सिह पुत्र स्व0 सवाईसिह जाति राजपूत उम्र 67 वर्ष निवासी गाव गुडा राईकान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01..तेजाराम पुत्र श्री नामालुम जाति कुम्हार निवासी गुडा राईकान तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88,188,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 49/2019 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुडा विश्नोईयान राईकान के खसरा नम्बर 733 रकबा 71 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय मे 1/5 हिस्से के रूप मे इन्द्राज तेजा पुत्र नामालूम व्यक्ति का नाम डिलिट किया जावे एव जमाबन्दी संवत 2026–2029 व 2030–2030 की स्थिति पुन बहाल कर जमाबन्दी मे इन्द्राज किया जावे।

नीज.....................................मुबलिक.............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.......................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.............. ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23/10/2023 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner